राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमेश बनाम मन्दिर श्री ठाकुर जी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/02/2026	67/2011 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 05/02/2026 को पेश हो।	
05/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती, एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया है कि माफी मन्दिर ठाकुर जी श्री गोपाल जी ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर जिला जयपुर में विराजमान है तथा ठाकुर जी शाश्वत नाबालिंग है। वादी ठाकुरजी का पुजारी नेक्ट फ्रेण्ड प्रभूदयाल पुत्र श्री नेमीचन्द शर्मा है। ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर, जिला जयपुर में साबिक आराजी ख.नं. 442 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल नये ख.नं. 774 रकबा 0.73 है. किस्म बारानी तृतीय है। जो कि विवादग्रस्त है तथा माफी मन्दिर वादी की काश्त की भूमि है तथा जागीरदारी के समय से माफी मन्दिर वादी के उपयोग-उपभोग में आ रही है। सम्वत् 2010 से 2023 के राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त ग्राम नांगल सुसावतान में माफी मन्दिर श्री ठाकुरजी वाके देह वएहतमाम पुजारी देवीदास चेला मोतीदास कौम स्वामी सा. देह के नाम से दर्ज थी। तत्समय में उक्त मन्दिर की भूमि को प्रतिवादीगण बालू वल्द मंगला, भौरिया वल्द काना, मंगला वल्द भींवा मीणा बंटवारे में भूमि को काश्त करते थे तथा मन्दिर की भोग, व्यवस्था उक्त आराजी की खुदरा व प्राकृतिक पैदावार जो बंटवारे में आती थी, उससे मन्दिर की समस्त व्यवस्था की जाती रही है। कालान्तर में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के पूर्वजों का नाम बतौर काश्त कृषक दर्ज होने से बदनियती पूर्वक हाल रिकार्ड में भी प्रतिवादीगण ने अपने नाम से खातेदारी दर्ज करवा ली है तथा माफी मन्दिर ठाकुर जी गोपालजी जो शाश्वत नाबालिंग मूल खातेदार थे, का नाम राजस्व रिकार्ड से राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से हजफ कर दिया गया। जिस कारण हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 के नाम से भूमि विवादग्रस्त की खातेदारी दर्ज है। उक्त विवादग्रस्त भूमि में अर्से दराज पूर्व का पुख्ता मकान है। जिसमें मन्दिर के भक्तगण जागरण आदि करने के लिए ठहरने आदि की व्यवस्था करते है, जो तत्समय के पुजारी देवीदास चेला मोतीदास द्वारा पुख्ता मकान अर्से दराज पूर्व बनाया हुआ है। जो वादी मन्दिर की सम्पत्ति है। प्रतिवादीगण का भूमि विवादग्रस्त से कोई लेना देना व हक अधिकार नही है। लेकिन हाल ही जमीनों के भाव बढ़ जाने से प्रतिवादीगण की नियत में बदनियती आ गयी	

तारीख हुक्म		नम्बर व तारी अहकाम जो इ हुक्म की तामील में जारी हुए

है और प्रतिवादी सं. 10 इसी बदनियती के कारण मन्दिर में अस्थायी रूप से सुजारी बनकर मन्दिर में भोग आदि कर रहा है। जो अब प्रतिवादीगण सं. 1 ता. 10 ने आपस में सांठ-गांठ कर वादी मन्दिर की सम्पत्ति भमि विवादग्रस्त को खुर्द-बुर्द करने के लिए प्रतिवादी सं. 11 जो एक भू-माफिया गिरोह का व्यक्ति है एवं बिल्डिंग आदि बना कर अवैध कॉलोनी की बसावट आदि करने की चेष्टा में है। दिनांक 15.6.2005 प्रतिवादी सं. 11 प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के साथ मिलकर भूमि विवादग्रस्त पर अवैध रूप से कॉलोनी की बसावट करने के लिए व खुर्द-बुर्द करने के लिए नाप-जोख करने लगे तब वादी पुजारी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने ऐलानियां धमकी दी कि जमीने मंहगी हो गयी है, इसलिए इस पर कॉलोनी की बसावट कर खुर्द-बुर्द करेंगें, मन्दिर या मन्दिर की ओर से कोई पुजारी नेक्ष्ट फ्रेण्ड इस बाबत दखल करेगा तो उसे जमीन में गाड़ कर दफन कर देंगे। जिस कारण यह वाद पेश करना लाजमी हो गया। वादी न्यायालय के यहां से भूमि विवादग्रस्त को माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी गोपाल जी वाके ग्राम नांगल सुसावतान के नाम से खातेदारी की घोषणा करवाने एवं राजस्व रिकार्ड से जिवादीगण सं. 1 ता 9 का नाम हजफ करवा कर इन्द्राज दुरूस्ती करवाने एवं प्रतिवादीगणों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 ता 11 वादी मन्दिर की भूमि विवादग्रस्त में किसी भी भू भाग पर कोई अवैध कॉलोनी की बसावट नहीं करे, ना ही भूमि को खुर्द-बुर्द करे, ना ही अवैध रूप से कोई कॉलोनी के प्लाट, रास्ते आदि बनाकर खाम व पुख्ता निर्माण आदि नही करे, ना ही किसी भी भू-भाग का बेचान, हस्तान्तरण करे, ना ही कृर्षि से अकृर्षि में परिवर्तन करें, ना ही वादी के उपयोग-उपभोग करने, प्राकृतिक व खुदरा पैदावार लेने में किसी प्रकार की रूकावट, मजाहमत व मदाहखत नहीं करे, ना ही अन्य ऐजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन से करवायें एवं प्रतिवादी सं. 12 भूमि विवादग्रस्त का कोई विक्रय-पत्र या अन्य विलेख पत्र तसदीक नहीं करे। प्रतिवादी सं. 13 उक्त आराजी भूमि विवादग्रस्त में अदालत आदेश के बिना किसी प्रकार से रिकार्ड राजस्व में कोई परिवर्तन नही करे। यदि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वादग्रस्त सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द कर अवैध निर्माण आदि कर लेंगें व वादी को बेदखल कर देगें। जिससे वादी मन्दिर की सम्पत्ति विवादग्रस्त भूमि छीन जावेगी। इस प्रकार वादी ने वाद वादी बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री करने आराजी भूमि विवादग्रस्त ख.नं. 442 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल ख.नं. 774 रकबा 0.73 है. वाके ग्राम नांगल सुसावतान, तहसील आमेर जिला जयपुर की भूमि को माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी गोपाल जी वाके ग्राम नांगल सुसावतान के नाम से खातेदारी की घोषणा करने एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

रमेश बनाम मन्दिर श्री ठाकुर जी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 का नाम हजफ फरमाया जाकर इन्द्राज दुरुस्ती वादी मन्दिर के नाम करने की प्रार्थना की |

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | जिस पर प्रतिवादीगण के उपस्थित नही आने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाते हुए साक्ष्य वादी ली गयी | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 09/11/2010 पारित करते हुये वाद वादी स्वीकार किया जाकर आराजी हाल खं.नं. 774 रकबा 0. 73 है. का खातेदार वादी माफी मन्दिर ठाकुर जी गोपाल जी वाके ग्राम नांगल सुसावतान घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजब किया जावे। प्रतिवादींगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम नांगल सुसावतान स्थित हाल आराजी ख.नं. 774 रकबा 0.73 है. के किसी भी भू-भाग में कोई अवैध कॉलोनी को बसावट नहीं करे, खाम या पुख्ता निर्माण नही करे, बेचान या हस्तातरण नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो। तहसीलदार मौके पर उक्त प्रतिवादीगण को बेदखलकर भूमि का वास्तविक कब्जा वादी को संभलायेगे जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता रेस्पो. की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना में कार्यवाही करते हुये प्रकरण के साक्ष्य-सबूत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई त्रुटी जाहिर नही होती है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मियाद अधिनियम में डिले कन्डोन करवाने हेतु अंकित तथ्य भी स्वीकार योग्य जाहिर नही होते है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाते है तथा अपील अपीलार्थी मियाद बाहर पेश होने से एवं गुणावगुण पर भी बलहीन होने से ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 05/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |